रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 10 जनवरी, 1989/20 पौष, 1910

### हिमाचल प्रदेश सरकार

### HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### NOTIFICATION

*Shimla* 4, *the* 23*rd December,* 1988

**No. 1-50/88-VS.**—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Himachal Pradesh Legislative

Assembly (Allowances and Pension of Members) (Third Amendment) *Bill. 1988* (*Bill* No. 15 of 1988) having been introduced on the 23rd December, 1988, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
*Secretary.*

1988 का विधेयक संख्यांक 15.

# हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1988

(विधान में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1988 है ।

धारा 6-ख का संशोधन ।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6-ख में,—

(क) उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में आए "प्रतिमास पन्द्रह सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के उच्चतम श्रेणी-1 के अधिकारी को अनुज्ञेय पेन्शन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (1-अ) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(1-अ) उप-धारा (1) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, प्रत्येक सदस्य जो उप-धारा (1) के अधीन इस कारण से पेन्शन प्राप्त करने का हकदार नहीं है कि उसने उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्य के रूप में सेवा नहीं की है तो उसे—

(i) यदि उसने एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के एक तिहाई के बराबर ;

(ii) यदि उसने दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के दो तिहाई के बराबर; और

(iii) यदि उसने तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय पेन्शन की राशि के बराबर ;

पेन्शन संदत्त की जाएगी ।"

(ग) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (5) प्रतिस्थापित की जाएगी और तत्पश्चात् नई उप-धाराएं (6) और (7) जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने वाले या पेन्शन लेने के लिए हकदार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो—

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या
(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी संतान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह पर्यन्त;

इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे :

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे।

(6) राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों में परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के तत्काल पश्चात्, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेता है या पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेने का हकदार है, अनुज्ञय पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन के अतिरिक्त, उसी दर से पेन्शन पर मंहगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है।"

अनुसूची का जोड़ना ।

3. मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

*[धारा 6-ख की उप-धारा (5) और (6) देखें]*

धारा 6-ख की उप-धारा (5) के अधीन कुटुम्ब पेन्शन की दरें निम्नलिखित होंगी :—

| भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों को धारा 6-ख की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिमास अनुज्ञेय पेन्शन | प्रतिमास कुटुम्ब पेन्शन की दर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (i) 750 रुपये से अनधिक | 375 रु0 की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए, पेन्शन का साठ प्रतिशत। |
| (ii) 750 रु0 से अधिक किन्तु 1500 रु0 से अनधिक | 450 रु0 की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए पेन्शन का चालीस प्रतिशत। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| (iii) 1500 रु0 से अधिक | 600 रु0 की न्यनतम और 1250 रु0 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पेन्शन का तीस प्रतिशत।" |

4. कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के अधीन उस राशि से अधिक कुटुम्ब पेन्शन प्राप्त करता है जिसके लिए वह मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा यथा संशोधित धारा 6-ख की उप-धारा (5) के उपबंधों के अधीन हकदार होता, वह उन्हीं दरों पर पन्शन प्राप्त करता रहेगा किन्तु अनुज्ञेय कुटम्ब पेन्शन की राशि और उस द्वारा पहल प्राप्त की जा रही राशि के अन्तर को उसके लिए इस बात के अधीन रहते हुए वैयक्तिक माना जाएगा कि इसे मूल अधिनियम की धारा 6-ख क अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेन्शन या पन्शन पर मंहगाई राहत में भावी बढ़ोत्तरी में संविलीन किया जाएगा। अस्थायी उपबंध।

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

इस समय उस सदस्य को जिसने राज्य विधान सभा की पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है और उस सदस्य को जिसकी अवधि 5 वर्ष से 3 मास कम है, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के अधीन पांच सौ रुपये प्रतिमास पेन्शन संदत्त की जाती है। वे सदस्य पेन्शन के हकदार नहीं हैं जिन्होंने लघुतर अवधि के लिए कार्य किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सदस्य का पद महत्वपूर्ण प्रकृति का है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब सदस्य विधान सभा का सदस्य न रहे तो उसके लिए कतिपय धन की व्यवस्था की जाए ताकि वह रहन-सहन का युक्तियुक्त स्तर रख सके और राज्य के लिए हितकर क्रियाकलापों में लग सके। यह वांछनीय है कि ऐसे सदस्यों को भी उक्त अधिनियम के अधीन पेन्शन संदत्त की जाए।

वे सदस्य और उन के कुटुंब जो अधिनियम के अधीन पेन्शन प्राप्त करते हैं, पेन्शन पर मंहगाई राहत के लिए हकदार नहीं है जैसे कि अन्य सरकारी पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है। कुटुंब पेन्शन देने को तर्क संगत बनाने और रहन-सहन के बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति के लिए यह वांछनीय है कि उन्हें और उनके कुटुंब को उन्हीं दरों पर मंहगाई राहत प्राप्त करने के हकदार बनाया जाए, जो राज्य सरकार के पेन्शन भोगियों को समय-समय पर अनुज्ञेय हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

शिमला :
23-12-1988.

---

**वित्तीय ज्ञापन**

विधेयक के खण्ड 2 में ऐसे सदस्यों के लिए जो इस कारण से मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन प्राप्त करने के पात्र नहीं है कि उन्होंने उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य नहीं किया है, पेन्शन का और उन्हें तथा उनके कुटुंब को उन्हीं दरों पर पेन्शन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने का भी, जिन पर राज्य सरकार के पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है, उपबंध किया गया है। विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधिनियमित होने पर राज्य कोष से अनुमानतः प्रतिवर्ष 4.37 लाख रुपये का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

---

**प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन**

विधेयक के खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 6-ख में अन्तःस्थापन के लिए प्रस्तावित उप धारा (6), राज्य सरकार को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कुटुंब पेन्शन की दरों को समय-समय पर संशोधित करने के लिए सशक्त करती है। इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकृति का है।

---

**भारत के संविधान अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश**

**फाइल सं0 जी0 ए0 डी0 (पी0 ए0)-4(डी0) 24/88**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1988 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Sadasyon ke Bhatte aur Pension) (Tritiya Sanshodhan) Vidheyak*, 1988 (1988 *ka Vidheyak Sankhyank* 15) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

**Bill No. 15 of 1988.**

# THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (THIRD AMENDMENT) BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act*, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Third Amendment) Act, 1988.

Amendment of section 6-B.

8 of 1971

**2.** In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act)—

(*a*) for the words and figure "Rs. 1500 per mensem", occurring in the second proviso to sub-section (1), the words "the maximum pension admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government" shall be substituted;

(*b*) after sub-section (1), the following new sub-section (1-A) shall be added, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1), every person who is not eligible to draw pension under sub-section (1) for the reason that he has not served as member for a period specified therein, shall be paid a pension—

(*i*) if he has served for a period exceeding one year but less than 2 years, equal to 1/3rd of the amount of pension admissible under sub-section (1);

(*ii*) if he has served for a period exceeding 2 years but less than 3 years, equal to 2/3rd of the amount of pension admissible under sub-section (1); and

(*iii*) if he has served for a period exceeding 3 years but less than five years, equal to the amount of pension admissible under sub-section (1).";

(*c*) for existing sub-section (5), the following sub-section (5) shall be substituted and thereafter new sub-sections (6) and (7) shall be added, namely:—

"(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension under sub-section (1), dies,—

(*i*) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or

(*ii*) if such person leaves no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension, at the rates specified in the Schedule to this Act:

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(6) The State Government may, from time to time, by notification published in the Official Gazette, modify the rates specified in the Schedule to this Act:

Provided that every notification under this sub-section shall immediately after it is issued, be laid before the State Legislative Assembly.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/family pension shall, in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government."

Addition of Schedule.

3. The following Schedule shall be added to the principal Act, namely:—

"SCHEDULE

[*See* sub-sections (5) and (6) of section 6-B]

The rates of family pension under sub-section (5) of section 6-B of the Act shall be as under:—

| Pension admissible to ex-M.L.A. under sub-section (1) of section 6-B per mensem | Rates of family pension per mensem |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (*i*) Not exceeding Rs. 750/- | 60 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 375/-. |
| (*ii*) Exceeding Rs. 750/- but not exceeding Rs. 1500/- | 40 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 450/-. |
| (*iii*) Exceeding Rs. 1500/- | 30 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 600/- and a maximum of Rs. 1250-/.". |

Transitory provisions.

4. Any person who, on the commencement of this Act, is in receipt of a family pension under the principal Act in excess of the amount to which he would have been entitled under the provisions of sub-section (5) of section 6-B of the principal Act, as amended by clause (*c*) of section 2 of this Act, he shall continue to draw the pension at the same rates but the difference between the amount of family pension admissible and the amount already being drawn by him shall be treated as personal to him, subject to its being absorbed in future increases in family pension or the dearness relief in pension admissible under section 6-B of the principal Act.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present a member who had served as a member for a term of five years of the State Legislative Assembly and the member whose term falls short of five years by a period not exceeding three months is paid a pension of Rs. 500/- per mensem, under the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971. The members who have served for a shorter period as members of the State Legislative Assembly are not entitled to any pension. The office of a member of the Legislative Assembly is of very important nature in a democratic set up. It is necessary that when a member ceases to be the member of the Legislative Assembly then he should be provided with certain money to have a reasonable standard of living so as to enable him to devote himself to the activities beneficial to the State. It is desirable that such members should also be paid pension under the Act.

The members and their families who receive pension under the Act are not entitled to dearness relief in pension as is admissible to other pensioners of the State Government. In order to rationalise the grant of family pension and to compensate them for the rise in the cost of living, it is also desirable to make them and their families entitled to receive family pension and dearness relief in pension at the same rates as are admissible to other pensioners of the State Government from time to time.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA:
The 23rd December, 1988

VIRBHADRA SINGH,
*Chief Minister.*

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to provide for pension to such members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly who are not eligible to draw pension under sub-section (1) of section 6-B of the principal Act for the reason that they have not served as members for a period specified therein and also for grant of dearness relief in pension to them and their families at the same rates as are admissible to other pensioners of the State Government. The provisions contained in the Bill when enacted will involve approximately recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 4.37 lakhs per annum.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-section (6) of section 6-B of the principal Act proposed to be inserted *vide* clause 2 of the Bill empowers the State Goverment to modify the rates of family pension from time to time by a notification published in the Official Gazette. The notification so issued is to be laid before the State Legislative Assembly. This delegation is essential and normal in character.

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

**File No. GAD (PA)-4 (D)-24/88**

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Third Amendment) Bill, 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित